

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

योषाट वगैरे वनाम म्हाडु (प) वगैरे  
 त.क्र.सं. नं. १०३ सन् २०

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>17/18 वकील वारीगण श्री अजताराज ने हाजिर अदालत होकर वायपत्र पेश किया। दावा दर्ज (रजिस्ट्रार किया जावे) प्रतिवारीगण की तलबी जारी सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 24/07/18 को पेश हो।</p>	<p>6276-78                  18-7-18</p>
<p>24/7/18                  वाकिल श्री श्री अजताराज                  14-9-18</p>	
<p>14/9/18                  वाकिल श्री श्री अजताराज                  28/9/18</p>	
<p>इसकी प्रतीति                  14-5-19</p>	
<p>14/5/19                  वाकिल श्री श्री अजताराज                  18/05/19</p>	

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
18/06/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वफुलाय फरिक्ते  <del>उप/अनुपस्थित पीतरीन अधिकारी को</del>  <del>अप/अपस्थित में वाल पत्रावली अधिन</del>                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>21/8/19</u>                      को पेश हो। 2</p>
20/08/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वफुलाय फरिक्ते  <del>उप/अनुपस्थित पीतरीन अधिकारी को</del>  <del>अप/अपस्थित में वाल पत्रावली अधिन</del>                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>25/09/19</u>                      को पेश हो। 2</p>
25/09/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में छई वार                      आवाज लगवाई गई। वकील कादीगण अत्रण                      पक्षधारान में छे कोई भी हाजिर अदावत                      नही आमा। अतः प्रकरण अदम हाजनी एवं अदम                      पेशी में जादिर छिया जात हैं। पत्रावली अत्रण                      शुक्राद होड नम्बर से कम हो तथा अप तछगील                      काफिल फफर हो। निर्णय अत्रे न्यायालय में अत्रण                      गया।</p> <p style="text-align: right;">dv →</p> <p>उपखण्ड अधिकारी                      खण्डेला (सीकर)</p>

1.  
2.

3.

3